2025:CGHC:11905

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 7701/2024

1– इंदु भगत पिता बलदेव भगत, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी– ग्राम बोझिया पोस्ट बोझिया, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ पिन 496665

2– समीरा तिग्गा पिता फ्रांसिस तिग्गा, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी– बालगंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 10, परसाद गली इंद्रानगर, पोस्ट फुन्दुरडिहारी नवापारा,तहसील अम्बिकापुर, ज़िला सरगुजा, छत्तीसगढ़. पिन 497001

3– संजीता तिर्की पिता धरम चंद तिर्की, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी– ग्राम फुन्दुरडिहारी, बिचपारा, वार्ड क्रमांक 10, पोस्ट फुन्दुरडिहारी नवापारा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन 497001

4– नेहा सिंह पिता मोती सिंह,आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के पास गांधीनगर,वार्ड क्रमांक 07, पोस्ट अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, 497001

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5– अंजू मरकाम पति प्रकाश सिंह मरकाम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम बेतरी, पोस्ट मल्हार, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन 495551

6– आभा तिर्की पिता फुलजेंस तिर्की, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम नेगीटोली तंगरगाँव, पोस्ट पोंग्रो, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ पिन 496223

7– सरिता पिता सोमरसाय,आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम रायसरा, पोस्ट चन्द्रमेधा, तहसील ओड़गी, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ पिन 497235

8– जेनी शीतल कुजूर, पिता जय मसीह कुजूर, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– केन्द्रीय विद्यालय के पीछे, देवदत्त कॉलोनी के पास, पोस्ट राघवपुरी, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिनकोड – 497001

9– नेवाजो आयम पिता बृजलाल आयम, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– मकान क्र. 19, वार्ड क्रमांक 01, गाँव मेंढारी, पोस्ट करमडीहा,वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ पिन 497225

10– स्वर्ण लता मिंज पिता कैमिल मिंज, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– सोनी कॉलोनी, मकान क्र. 06, पोस्ट. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, पिन 497001

11– जगरनाथ राम पिता बुधन राम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– ग्राम डुमरखोला, पोस्ट दौरा, तहसील दौरा कोचली, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, पिन 497118

12– संगीता पति हेमन्त कुमार सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– ग्राम जुड़वानी, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा, पिन 497116

13– क्रेंसिया ज़ालक्सो पिता पारस ज़ालक्सो, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम रोपाखार, पोस्ट कमलेश्वरपुर, तहसील नर्मदापुर, जिला सरगुजा, पिन 497111

14– अनिमा मिंज पिता भुखन राम मिंज, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– खड़दोरना, पोस्ट सीतापुर, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा, पिन 497111.

15– मैरी कुसुम एक्का पिता कुँवर, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– सुभाष नगर, अम्बिकापुर, पोस्ट अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, पिन 497001

16–सरिता पैकरा पिता झरी राम,आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम खजूरी, पोस्ट प्रतापपुर, तहसील प्रतापपुर, ज़िला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन 497223

17– ललिता भोई पिता मकरध्वज भोई, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– ग्राम पिथौरा, पोस्ट पिथौरा, तहसील पिथौरा, ज़िला महासमुंद, छत्तीसगढ़, पिन 493551

18– अनामिका सिंह पिता शिवभजन सिंह आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– गाँव शिवनंदनपुर, पोस्ट बिश्रामपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़. पिन 497226

19– हेमन्त कुमार खाण्डेय पिता कृपा राम खाण्डेय आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 47, इक्का विला के पास रामकृष्ण नगर, मोपका, पोस्ट मोपका, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन 495006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20– राहुल चतुर्वेदानी पिता बसंत कुमार, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम केन्द्री, पोस्ट अभनपुर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर,छत्तीसगढ़

21– कामिनी नाइक पिता लालजीत सिंह नाइक, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– टिकरापारा रोड मन्नू चौक,मकान क्रमांक 139, पोस्ट जूना बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन 495001

22– हेमन्त कुमार पिता होरी लाल आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम मिर्चिड, पोस्ट ऑफिस परसाडीह, तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़. पिन कोड 493338

23– लालाराम केवट पिता महेश्वर प्रसाद केवट, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम धमालपुर, पोस्ट हसुवा, तहसील टुंड्रा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, पिन 493344

24– संगीता, पिता बाला राम, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– मकान क्रमांक 11, ग्राम सोनुरी, पोस्ट सोहासपुर लोहारा, तहसील सोहासपुर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, पिन 491996

25– रत्ना पिता अश्वनी, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– मकान क्रमांक 03 खपरीहापारा, ग्राम झीपन, पोस्ट रावन, जिला बलौदा बाजार–भाटापारा, पिन कोड 493196

––– याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2–संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3– संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग, जिला अम्बिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़

4– संयुक्त संचालक, शिक्षा बस्तर संभाग, जिला जगदलपुर जगदापुर, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्रमांक 7708/2024

1– शकुंतला नेताम पिता चंद्रप्रकाश नेताम आयु लगभग 29 वर्ष,, निवासी– ग्राम निराछिंदली, पोस्ट जामगांव, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ पिन 494331

2– जुनास एक्का पिता खुरनु एक्का, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी– ग्राम ढेलसरा, पोस्ट सीतापुर, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन 497111

3– प्रणय कुमार कुजूर पिता अल्बर्ट कुजूर, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– नमनाकला अम्बिकापुर, पोस्ट अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़. पिन 497001

4– सुभद्रा कुजूर पिता संतोष कुजूर, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– शांति भवन, पटपरिया, वार्ड क्रमांक 11, मकान क्रमांक 166, पोस्ट अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन 497001

5– अतुल टोप्पो पिता एन्थ्रेस टोप्पो, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम गिनाबहार, पोस्ट गिनाबहार, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ पिन 496225

6– आराधना सिंह पिता अनिल कुमार सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, ग्राम गैना, पोस्ट केशरी, तहसील रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ पिन 497255

7–पूनम सिंह पति विद्याचरण सिंह,आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– ग्राम, पोस्ट, तहसील – वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ पिन 497225

8 – विशाल केरकेट्टा पिता रामबिरूच केरकेट्टा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी– मकान क्र. 23, ग्राम बांसपारा, कांतिप्रकाशपुर, पोस्ट, तहसील– अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन 497001

9–निर्मला टोप्पो पिता एल्विनस टोप्पो, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी– ग्राम जटगा, पोस्ट जटगा, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ पिन 495445

10– पूजा सिंह पति प्रमोद सिंह,आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम झिरमट्टी, पोस्ट उदयपुर, तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़,पिन 497117

11–जैकिंटा पिता थेमन,आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम राजापुर भैंसाखार, पोस्ट गुटुरमा,तहसील मैनपाट, ज़िला सरगुजा, छत्तीसगढ़. 497114

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12– साधना मिंज पिता पेट्रस, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम औनरिजोर, पोस्ट हर्राडांड, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ पिन 496225

13– आशा कुमारी पति प्रीतपाल सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– गांव घुंचापुर, पोस्ट दर्राभाठा, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ पिन 495445

14– नमिता कंवर पति लीलाधर सिंह कंवर, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम कमल सागर, मोहल्ला गिधौरी, पोस्ट दादरकला, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ पिन 495674

15– औक्सिलिया पन्ना पिता ऐरस पन्ना,आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– गांव भगतटोली,पोस्ट जुमाइकेला, तहसील कांसाबेल, ज़िला जशपुर, छत्तीसगढ़. 496223

16– मधु नेताम पिता बी.आर. नेताम, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– अयोध्या धाम, वार्ड क्रमांक 1 कबीरधाम, पोस्ट सोहासपुर लोहारा, तहसील सोहासपुर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ पिन 491995

17– नमित कुमार दीवान पिता टीकम सिंह दीवान, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी– ग्राम झिटकी, पोस्ट नर्रा, तहसील कोमाखान, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़. 493449

18– प्रतिमा पिता मुन्ना लाल शांडिल्य, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– गांव मोड, पोस्ट सांखरा, तहसील नगरी, जिला धमतरी, पिन 493778

19– लीना दर्रो पिता संपत सिंह दर्रो, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी– ग्राम कुम्हार पारा, वार्ड क्रमांक 13, पोस्ट, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़. 494661

---याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा– सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2– संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3– संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, जिला अम्बिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़

4– संयुक्त संचालक, शिक्षा बस्तर संभाग जगदलपुर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सेवा क्रमांक 7711/2024</u>

1 – स्मृति मुक्ता खाखा पिता अवतार खाखा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– ग्राम शांतिनगर, बासेन, पोस्ट मुसगुटरी, तहसील बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, 496224

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – पिंकी एक्का पिता इंद्रपाल एक्का आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम पटनाकोट, पोस्ट पटना, तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ 497229

3– मीना तिर्की पिता नया राम तिर्की, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– ग्राम सुरेशपुर, पोस्ट सुरेशपुर, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) 496118

4 – दिनेश कुमार पिता हिरामन लाल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– ग्राम किरगाहाटोला, पोस्ट शिकारी महका, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ 491558

5 – सिंगलुराम कोवाची पिता चंपुरम कोवाची, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम हडफड, पोस्ट चिखली, तहसील दुर्गूकोंदल, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़) पिन 494771

6– प्रकाश चन्द्र कश्यप पिता संत कुमार कश्यप, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम आर.ई.एस. कॉलोनी, पोस्ट कांकेर, तहसील कांकेर, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़) 494334

7 – खेमलता नायक पिता दुलार राम ,आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी– ग्राम एवं पोस्ट हटकर्रा, तहसील भानुप्रतापपुर ज़िला कांकेर (छत्तीसगढ़) 494670

8–सविता नेताम पिता नेहरूलाल नेताम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– ग्राम करगांव, पोस्ट भानपुरी, तहसील फरसगांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ पिन 494229

9 – संध्या पिता छेदी लाल, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– एच.एन. 226 ब्लॉक कालोनी फरसगांव पोस्ट फरसगांव ज़िला कोंडागांव (छ.ग.) 494228

10 – ईश्वरी नेताम पति गिरवर सिंह नेताम आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम ऐरमूर, पोस्ट ऐरमुर तहसील लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) 494010

11 – अंजू नीलम किंडो पिता हबील किंडो, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– गांव पोंगरो, पोस्ट पोंगरो, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.) 496223

12 – रजनी नेताम पिता श्यामलाल नेताम,आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी– ग्राम सरायपाली, पोस्ट लमकेनी, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) 493558

13 – हेमलता पारेश्वर पिता वासुदेव पारेश्वर, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी– ग्राम जटाकन्हार, पोस्ट पझरापाली, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) 493558

14– दीपक कुमार पिता कृष्ण कुमार, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– मकान क्र.–12, वार्ड क्र.–01 ग्राम भंवर, पोस्ट बिंझरा, तह पोंडी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) 495445

15– अजय कुमार पिता विश्राम सिंह,आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– मकान क्रमांक–57, वार्ड क्रमांक–13, ग्राम डोंगरतराई, पोस्ट बिंझरा, तहसील पोंडी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) 495445

16– जगत राम बिंझवार पिता राजाराम, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी– ग्राम एवं पोस्ट चिचोली, तहसील, करतला, जिला कोरबा (छ.ग.) 495671

17– भूपेन्द्र कुमार पिता मनीराम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– ग्राम मसुलकसा, पोस्ट गोदलवाही, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) 491661

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18–घनश्याम पिता हीरा लाल,आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम व पोस्ट किरगी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 491661

19–धनंजय चंद्रवंशी पिता वेदराम चंद्रवंशी आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम चिलगुड़ा, पोस्ट गंडई, तहसील छुईखदान, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई (छ.ग.) 491888

20– आशा सिदार पति ओम प्रकाश सिदार, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– ग्राम एवं पोस्ट बघौद, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) 495692

21– अंजेलिना किस्पोट्टा पिता विलियम किस्पोट्टा ,आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम खरवाटोली, पोस्ट केराडीह, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) 496225

–––याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2–संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3– संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, जिला अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़

4– संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर संभाग, जिला जगदलपुर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका सेवा क्रमांक 7710/2024</u>

1 – कपिल देव पिता शाम कुमार, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– गांव नकना, पोस्ट बटाईकेला, तहसील बटौली, जिला सरगुजा, पिन 497101 (छ.ग.)

2 – पार्वती कोमारे पिता शिवनाथ सिंह कोमारे, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम अटेगरदा, पोस्ट दिघवाडी, तहसील खड़गांव, जिला मोहला– मानपुर–अंबागढ़ चौकी (छ.ग.) पिन 491229

3 – बलराम पिता मलिकराम, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम नवलपुर, पोस्ट गदामोर, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, (छ.ग.) पिन 491337

4– अनामिका सिंह पिता शिवभजन सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– ग्राम शिवनंदनपुर, पोस्ट बिश्रामपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर, (छ.ग.) पिन 497226

5 – गुलाब चंद कोठारी पिता दयाराम कोठारी ,आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम डुमरडीह, पोस्ट पतोरा, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, (छ.ग.) पिन 491107

6 – कौशिल्या ठाकुर पिता आज्ञाराम ठाकुर, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम डुमरपाली, पोस्ट डुमरपाली, जिला महासमुंद, (छ.ग.) पिन 493551

7 – दुर्गेश्वरी पिता हरिश्चंद्र, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम भरदा, पोस्ट धदाहा, तहसील कुरूद, जिला धमतरी,(छ.ग.) पिन 493663

---याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1 –छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2–संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन ब्लॉक सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3– संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग, जिला अम्बिकापुर सरगुजा, छ.ग.

4– संयुक्त संचालक, शिक्षा बस्तर संभाग, जिला जगदलपुर ,जगदलपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा क्रमांक 7706/2024

1–कपिल कुमार ध्रुव पिता मनराखन लाल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी– ग्राम–गोबारी, पोस्ट मानिकचौरी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495551.

2–कन्हैया लाल आर्य पिता परस राम आर्य, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम–आसराम वार्ड 11, नारायणपुर, पोस्ट नारायणपुर, तहसील नारायणपुर, जिला–नारायणपुर (छ.ग.) पिन 494661

3– अमित लाल मंडावी पिता सोनऊ राम मंडावी, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम एवं पोस्ट– धनेलीकन्हार, तहसील एवं जिला– कांकेर (छ.ग.) पिन 494670

4 – गणेश राम पिता मदन सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– ग्राम– बड़गांव, पोस्ट–हाटकोंदल, तहसील दुर्गूकोंदल, जिला–कांकेर (छ.ग.) पिन 494635

5 – ज्योति ठाकुर पिता ओ.आर. ठाकुर, आयु लगभग 34 वर्ष,, निवासी– गांव– कंजेली, पोस्ट– सिंघोला, तहसील–डोंडी, जिला–बालोद (छ.ग.) पिन 491226

6 – लखमू राम पिता सुखराम, आयु लगभग 33 वर्ष,, निवासी– मकान क्र. 144, फरसा पादर पारा, गांव–पलारी, पोस्ट–पलारी, तहसील–कोंडागांव, जिला–कोंडागांव (छ.ग.) पिन 494226

7 – मनीषा पिता मोहन सिंह, आयु लगभग 26 वर्ष,, निवासी– गांव–तिवर्ता, पोस्ट–तिवर्ता, तहसील– हरदीबाजार, जिला–कोरबा (छ.ग.), पिन 495449

8 – इलेश्वरी पिता जोहन सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष,, निवासी– मकान नं. 28, गांव पेंड्रा, पोस्ट–पेंड्रा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) पिन 493992

9– नीकु पिता किसुन, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम–भेंडी, पोस्ट– सुरेगांव, तहसील– डौंडीलोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.) पिन 491225

10 – रामगोविंद सिंह कंवर पिता लाखन सिंह कंवर, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी– ग्राम–गिधौरी, पोस्ट–दादरकला, तहसील–करतला, जिला– कोरबा (छ.ग.) पिन 495674

11 – रेवेन्द्र कुमार पिता नरोत्तम सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– ग्राम–सिवनी, पोस्ट–डोंडी लोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.), पिन 491771

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12 – ऋषि कुमार पिता राधेश्याम साय, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 9, छोटे नाहर, ग्राम–रानीगांव, पोस्ट–लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) पिन 495115

13 – मुकेश रावटे पिता सावत राम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम– नदिया, पोस्ट–खुज्री, तहसील– डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव, पिन 491661 (छ.ग.)

14 – चंचल धनपाल पिता होमेन्द्र धनपाल, आयु लगभग 24 वर्ष,निवासी– ग्राम–अर्जुनी, पोस्ट–अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, ज़िला– राजनांदगांव (छ.ग.) पिन 491441

15 – बिंदेश्वरी रावते पिता फूल सिंह रावटे, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी– मकान क्रमांक 276, वार्ड क्रमांक 16, ग्राम–खड़गांव, पोस्ट–खड़गांव, तहसील–खड़गांव, जिला–मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी (छ.ग.), पिन 491229

16 – सिंधु रानी कुजूर पिता अब्राहम कुजूर, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी– दत्त टाउनशिप, फ़्लैट नंबर 410, एफ ब्लॉक, जिला–जबलपुर (म.प्र.) 482021

17 – भूमिसुता भोई पिता घनश्याम भोई, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम–अंजाडी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, पोस्ट घोडागाव, तहसील– पखांजूर, जिला–कांकेर (छ.ग.) पिन 494776

18 – अनिल साय पिता प्रहलाद साय, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम– फोस्कोटोली, पोस्ट–देवरी, तहसील– कांसाबेल, जिला–जशपुर (छ.ग.) पिन 496223

19 – यशवन्त कुमार पिता सुशील कुमार, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– गांव–मनदीप, पोस्ट–नगरदा, तहसील–सोनाखान, ज़िला– बलौदाबाजार (छ.ग.) पिन 492112

20 – कल्याणी मरकाम पिता नंजत राम मरकाम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– ग्राम–कवरा, पोस्ट बवई, तहसील–माकड़ी, जिला–कोंडागांव (छ.ग.) पिन 494226

–––याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,जिला–रायपुर (छ.ग.)

2–संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

3 – संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.)

4 – संयुक्त संचालक, शिक्षा, बस्तर संभाग, जगदलपुर, जिला– जगदलपुर (छ.ग.)

––– उत्तरवादीगण

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण की ओर से	:	डॉ. जितेन्द्र किशोर मेहता सह श्री आनंद कुमार कुजूर, अधिवक्तागण
उत्तरवादीगण–राज्य की ओर से	:	श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

10.03.2025

1. संबंधित याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता डॉ. जितेन्द्र किशोर मेहता सह श्री आनंद कुमार कुजूर को सुना गया। उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री अजीत सिंह को भी सुना गया।

2. चूंकि समस्त रिट याचिकाओं में एक ही विवाद्यक सम्मिलित है,अतः इन्हें साथ सम्मिलित कर एक साथ सुना जाता है तथा इनका निपटान इस एक ही आदेश द्वारा किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्तागण इस न्यायालय से यह प्रार्थना सहित हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं कि उत्तरवादी प्राधिकारियों को बस्तर व सरगुजा संभाग में संभागीय संवर्ग के रिक्त पदों के लिए शिक्षकों "ई" और "टी" संवर्ग 2023 की सीधी भर्ती को पूर्ण करने का निर्देशित किया जाए। लोक शिक्षण संचालनालय (स्कूल शिक्षा विभाग) की ओर से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर (एतस्मिन पश्चात जिसे 'छ.ग.व्यापमं' कहा जाएगा) द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 में सम्मिलित होने के पश्चात प्रवीण्य सूची में सम्मिलित याचिकाकर्ता शिक्षक एवं व्याख्याता 'ई' एवं 'टी' संवर्ग के रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरवादीगण ने अब तक सार्वजनिक डोमेन में यह अधिसूचित नहीं किया है कि उन्होंने शिक्षकों के शेष रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी है या जारी रखने जा रहे हैं, किन्तु उत्तरवादीगण ने आज दिनांक तक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, जिसके लिए उत्तरवादीगण ने सरगुजा एवं बस्तर संभाग में संभागीय संवर्ग के रिक्त पदों पर शिक्षक एवं व्याख्याता 'ई' एवं 'टी' संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था।

4. समस्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण द्वारा लगभग एक समान अनुतोष का दावा किया गया है। संक्षिप्तता हेतु, रिट याचिका सेवा क्रमांक 7701/2024 (इंदु भगत व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य) में याचिकाकर्तागण द्वारा मांगे गए अनुतोषों को विचार में रखा गया है, जो नीचे उद्धृत हैं:–

"(i) यह कि यह माननीय न्यायालय कृपया प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेखों को मंगाने की कृपा करे।

(ii) यह कि यह माननीय न्यायालय कृपया सरगुजा व बस्तर संभाग में संभागीय संवर्ग के रिक्त पदों के लिए शिक्षकों की सीधी भर्ती "ई" और "टी" संवर्ग 2023 को उत्तरवादी प्राधिकारियों को सौंपने के लिए रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे।

(iii)यह कि यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादीगण को उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे कि वर्तमान शिक्षक भर्ती 2023 के समाप्त होने तक शिक्षकों के पद हेतु नई रिक्तियों का सृजन न किया जाए।

(iv) यह कि यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे।

(v) कोई अन्य अनुतोष/आदेश जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित व न्यायसंगत समझे, कृपया प्रदान किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इन समस्त रिट याचिकाओं के निपटान हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 में उपस्थित हुए थे, जो कि छ.ग.व्यापमं द्वारा आयोजित की गई थी तथा वे शिक्षक एवं व्याख्याता 'ई' एवं 'टी' संवर्ग के रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने के लिए प्रतीक्षारत हैं। उत्तरवादीगण ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 (संक्षेप में "नियम 2019") के अंतर्गत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की तथा दिनांक 04.05.2023 को लोक शिक्षण विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा क्रमशः सरगुजा एवं बस्तर संभाग में संभागीय संवर्ग के रिक्त पदों पर शिक्षक "ई" एवं "टी" संवर्ग तथा व्याख्याता "ई" एवं "टी" संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए दो अलग–अलग विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किए। शिक्षक ई' संवर्ग हेतु रिक्त पदों की संख्या 1113 तथा शिक्षक टी' संवर्ग हेतु 4659 कुल 5772 शिक्षक पद हैं। व्याख्याता संवर्ग हेतु रिक्त पदों की कुल संख्या 432 है। याचिकाकर्तागण ने निर्धारित तिथि के अनुसार छ.ग.व्यापमं की वेबसाइट के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे हैं। छ.ग.व्यापमं द्वारा दिनांक 10.06.2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 का आयोजन किया गया है तथा दिनांक 15.06.2023 को छ.ग.व्यापमं द्वारा उक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर सहायक शिक्षक "ई" एवं "टी" संवर्ग भर्ती परीक्षा–2023 के मॉडल उत्तर पर दावे या आपत्तियां आमंत्रित की गई।

6. तत्पश्चात, दिनांक 02.07.2023 को उत्तरवादीगण ने उक्त परीक्षा की संयुक्त प्रवीण्य सूची प्रकाशित की तथा उत्तरवादीगण ने गणित, भौतिकी एवं वाणिज्य विषयों के लिए व्याख्याता के रिक्त पद पर क्रमशः दिनांक 13.07.2023, 08.08.2023, 15.09.2023 व 13.02.2024 को I चरण ,II चरण, III

चरण, IV चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु अधिसूचना जारी की।

7. तत्पश्चात, उत्तरवादीगण ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर क्रमशः दिनांक 06.09.2023, 12.08.2023, 21.09.2023, 06.02.2024, 05.03.2024 को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की, परंतु ऑनलाइन काउंसलिंग के चार चरण पूर्ण होने के उपरांत भी न तो व्याख्याता 'ई' और 'टी' संवर्ग के समस्त रिक्त पद भरे गए और न ही ऑनलाइन काउंसलिंग के पांच चरण पूर्ण होने के बाद भी शिक्षक 'ई' और 'टी' संवर्ग के समस्त रिक्त पद भरे गए। तत्श्चात याचिकाकर्तागण ने शिक्षक 'ई' और 'टी' संवर्ग के शेष रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग (V। चरण) के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया आयोजित करने के लिए उत्तरवादीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादीगण ने शिक्षक भर्ती–2023 के अंतर्गत विज्ञापित शेष रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण याचिकाकर्तागण ने विभिन्न अवसरों पर राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.08.2024 को याचिकाकर्तागण ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षकों के शेष रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की रोकी गई प्रक्रिया के संबंध में उत्तरवादीगण से स्पष्टीकरण मांगकर याचिकाकर्तागण के पक्ष में हस्तक्षेप करें। उत्तरवादीगण ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर को उसके पत्र क्रमांक 2337, दिनांक 02.08.2024 प्रकरण क्रमांक 86/2024 के संदर्भ में दिनांक 13.08.2024 को तथा उसके पत्र क्रमांक 2761, दिनांक 27.08.2024 प्रकरण क्रमांक 86/2024 के संदर्भ में दिनांक 30.08.2024 को दिए गए उत्तर में स्वीकार किया कि कुल स्वीकृत पद 5772 में से शिक्षक संवर्ग 'ई' एवं 'टी' के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 915 है तथा इसी प्रकार कुल स्वीकृत पद 432 में से व्याख्याता संवर्ग 'ई' एवं 'टी' के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 80 है।

9. याचिकाकर्तागण का यह भी तर्क है कि उत्तरवादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि पैनल/प्रवीण्य सूची की वैधता केवल एक वर्ष के लिए है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर किसी नीतिगत निर्णय या तर्कसंगतता का प्रयोग किए बिना भर्ती प्रक्रिया में विलंब किया तथा वैधता समाप्त होने दी, जिससे चयनित अभ्यर्थी रिक्त पद पर नियुक्ति पाने से वंचित हो गए, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अवैध है तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा किए गए कृत्य फिर भी, परंतु शक्ति का दोषपूर्ण प्रयोग हैं, ऐसे में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए दिनांक 04.05.2023 को

जारी विज्ञापन को अन्य बातों के साथ इस प्रार्थना सहित रद्द किए जाने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्तागण को उनके संबंधित विषयों के लिए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए क्योंकि उन्हें नियुक्ति के लिए चुना गया था, यद्यपि, उत्तरवादी प्राधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका।

10. समस्त रिट याचिकाओं में संबंधित याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि जब याचिकाकर्तागण का चयन किया गया था और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था, तो याचिकाकर्तागण को उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए था, यद्यपि, उनके चयन के पश्चात भी उनके संबंधित विषयों पर याचिकाकर्तागण की नियुक्ति करने के बावजूद, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने दिनांक 04.05.2023 को एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो अपने आप में अवैध है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को पारित आदेश के विपरीत है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है। आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक और व्याख्याता 'ई' और 'टी' संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज तक, उत्तरवादीगण ने शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, जिसके लिए उत्तरवादीगण ने बस्तर व सरगुजा संभाग में संभागीय संवर्ग के रिक्त पदों के लिए शिक्षक और व्याख्याता "ई" और "टी" संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्तागण का नाम प्रवीण्य सूची में है और वे उत्तरवादीगण द्वारा आयोजित चयन प्रक्रियाओं हेतु विचार किए जाने के योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षाओं में विधिवत योग्यता प्राप्त की है। आगे तर्क है कि उत्तरवादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि पैनल/प्रवीण्य सूची की वैधता केवल एक वर्ष के लिए है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर किसी भी नीतिगत निर्णय या तर्कसंगतता का प्रयोग किए बिना भर्ती प्रक्रिया में विलंब किया और वैधता समाप्त होने दी, जिससे चयनित अभ्यर्थी रिक्त पद पर नियुक्त होने से वंचित हो गए। यह तर्क है कि पर्याप्त समय अवधि व्यतीत हो चुकी है और आज तक उत्तरवादीगण द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है, अतः रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाए तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्तागण को नए सिरे से काउंसलिंग के लिए बुलाने एवं उनके संबंधित विषयों में सहायक शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देशित किया जाए।

11. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का पुरजोर विरोध किया एवं तर्क किया कि याचिकाकर्तागण का चयन नहीं किया जा सका तथा उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा सका क्योंकि वे विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन के लिए निर्धारित कट–ऑफ अंकों को पूर्ण नहीं कर सके। केवल उन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण हेतु, जो योग्य नहीं हो सके, बार–बार काउंसलिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे तर्क किया कि काउंसलिंग के 5 वें चरण के बाद भी याचिकाकर्ता योग्य नहीं हो सके क्योंकि वे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके और इसलिए उनका चयन नहीं किया जा सका। यह तर्क है कि चयन से याचिकाकर्तागण को संबंधित पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि वे काउंसलिंग में निर्धारित कट–ऑफ अंकों को प्राप्त नहीं कर लेते। जब पद रिक्त थे और अभ्यर्थी उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंकों को पूर्ण नहीं कर सके,तो अधिकारियों ने विधिवत विज्ञापन दिया और उसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता काउंसलिंग के माध्यम से अपनी नियुक्ति के लिए प्रकरण बनाने में सक्षम नहीं थे, जिसे बंद कर दिया गया है और इसे बार–बार नहीं खोला जा सकता है। अंत में यह तर्क है कि याचिकाकर्ता उनके द्वारा मांगे गए अनुतोष का प्रकरण बनाने में पूर्णतया असफल रहे हैं, इस प्रकार,समस्त रिट याचिकाएं सिरे से खारिज किए जाने योग्य हैं।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा समस्त रिट याचिकाओं सहित संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. रिट याचिकाओं सहित संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण ने अपने–अपने विषयों में सहायक अध्यापक "ई" और "टी" संवर्ग के पद हेतु आवेदन किया है। उनकी अपेक्षित योग्यता और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें काउंसलिंग के लिए चुना गया था, यद्यपि, काउंसलिंग में वे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सके। कट–ऑफ अंकों को समय–समय पर संशोधित किया गया था, यद्यपि, इसके बजाय याचिकाकर्तागण को 5 वें चरण की काउंसलिंग तक उनके संबंधित विषयों में सहायक अध्यापक "ई" और "टी" संवर्ग की नियुक्ति के लिए समायोजित नहीं किया जा सका।

14. दस्तावेजों के साथ–साथ दिनांक 04.05.2023 के विज्ञापन के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि जब पदों को पूर्ण नहीं किया जा सका और लगभग तीन वर्षों से अधिक समय तक रिक्त पड़े रहे, तो उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। इस समय, संबंधित अधिवक्तागण द्वारा अवलंब लिए गए निर्णयों पर विचार करना उचित होगा।

15. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **तेज प्रकाश पाठक व अन्य विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य (2025) 2 एससीसी 1** में प्रतिवेदित प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें पैरा 25, 64, 65.1, 65.2 व 65.6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैं:–

"25. भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण को न्यायसंगत अपेक्षा है कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और गैर–मनमाना होगी। सार्वजनिक विधि में न्यायसंगत अपेक्षा के सिद्धांत का आधार व्यक्तियों के साथ शासकीय आचरण में निष्पक्षता और गैर–मनमानापन के सिद्धांतों पर आधारित है। यह मानता है कि लोक प्राधिकरण का वादा या पूर्व आचरण एक न्यायसंगत अपेक्षा को जन्म देगा। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि लोक प्राधिकारियों को अपने लोक कर्तव्यों का पालन करते समय अपने वादों या पूर्व व्यवहारों का सम्मान करना चाहिए। किसी अपेक्षा की वैधता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब वह विधि, प्रथा या स्थापित प्रक्रिया में निहित हो।

64. इस प्रकार, शंकरसन दाश के निर्णय के आलोक में, चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थी को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अविभाजित अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने सुभाष चंद्र मारवाह के प्रकरण में लिया था, जहां 15 रिक्तियों के विरुद्ध केवल चयन सूची से शीर्ष 7 को ही नियुक्त किया गया। लेकिन इसमें एक चेतावनी है। राज्य या उसकी संस्था मनमाने ढंग से किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती। अतः जब किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार करने के संबंध में राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो चयन सूची से नियुक्ति न करने के अपने निर्णय को उचित साबित करने का भार राज्य पर होता है।

65.1.भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी होने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है;

65.2. भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के मध्य में तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी स्वीकृति न दें या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी स्वीकृति न दे। यद्यपि ऐसा परिवर्तन मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत स्वीकार्य हो, परंतु परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा तथा गैर–मनमानी के जांच को संतुष्ट करना होगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65.6. चयन सूची में स्थान मिलने से नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं मिलता। राज्य या उसके साधन सद्भावपूर्ण कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प का चयन कर सकते हैं। यद्यपि, यदि रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, तो राज्य या उसके साधन चयन सूची में विचार के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को मनमाने रीति से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते हैं।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहम्मद राशिद विरुद्ध निदेशक, स्थानीय निकाय, नया सचिवालय व अन्य (2020) 2 एससीसी 582** में प्रतिवेदित प्रकरण में, जिसमें पैरा 13 व 14 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

"13. सीधी भर्ती के इच्छुक अपीलार्थीगण को केवल इसलिए नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि एक समय में रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था। अपीलार्थीगण जैसे अभ्यर्थी केवल इस कारण से नियुक्ति के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने दिनांक 12–9–2013 को प्रकाशित विज्ञापन का जवाब दिया। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी, प्रवीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थीगण को केवल इस कारण से नियुक्ति मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि उनका नाम प्रवीण्य सूची में है। शंकरसन दाश विरुद्ध भारत संघ में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी सिविल पद पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को केवल इस कारण से कि उसका नाम प्रवीण्य सूची में है, ऐसे पद पर नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं माना जा सकता। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पीपी. 50–51, पैरा 7)

7. यह कहना उचित नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थीगण को नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थीगण को भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के समान होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक सुसंगत भर्ती नियम ऐसा संकेत नहीं देते हैं, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। यद्यपि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुज्ञा है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावपूर्वक लिया जाना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य अभ्यर्थीगण की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है। और किसी भी भेदभाव की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा लगातार इस सही स्थिति का पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य विरुद्ध सुभाष चंद्र मारवाहा: नीलिमा शांगला विरुद्ध हरियाणा राज्य या जतिंदर कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिली।

14. चूंकि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और वैधानिक नियमों के अधिदेश को विचार में रखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण को नगरीय निकायों द्वारा पदों को पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने की कार्रवाई पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे पद नियमों के अधिदेश के अनुसार भरे जा रहे हैं। नगर निकायों के लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना हमेशा खुला रहता है, जब पदोन्नति और/या प्रतिनियुक्ति कोटे के माध्यम से पदों को पहले से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया या नए सिरे से प्रारंभ की जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर नहीं भरा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पुलिस आयुक्त व एक अन्य विरुद्ध उमेश कुमार (2020) 10 एससीसी 448** में प्रतिवेदित प्रकरण, जिसमें पैरा 19, 20, 23 के अनुसार, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"19. वास्तविक विवाद्यक यह है कि क्या उत्तरवादी परमादेश के रिट के हकदार थे। यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या उनके पास नियुक्ति का निहित अधिकार है। स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। पंजाब एसईबी विरुद्ध मलकियत सिंह में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभ्यर्थीगण को चयन सूची में सम्मिलित करने मात्र से उन्हें नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 26, पैरा 4)

4.... उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में त्रुटि की कि उत्तरवादी को नियुक्ति का निहित अधिकार प्राप्त था और नीति में बाद में किए गए परिवर्तन से उसे छीना नहीं जा सकता था। यह स्थापित विधि है कि चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होने मात्र से ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता। शंकरसन दाश विरुद्ध भारत संघ में इस न्यायालय

के संविधान पीठ के निर्णय के पैरा 7 में यह स्थिति स्पष्ट की गई है, जिसमें लिखा है: (एससीसी पृष्ठ 50–51)

7. यह कहना उचित नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थीगण को नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थीगण को भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के समान होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक सुसंगत भर्ती नियम ऐसा संकेत नहीं देते हैं, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। यद्यपि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुज्ञा है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य अभ्यर्थीगण की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है। और किसी भी भेदभाव की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा लगातार इस सही स्थिति का पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य विरुद्ध सुभाष चंद्र मारवाहा: नीलिमा शांगला विरुद्ध हरियाणा राज्य या जतिंदर कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिली। (मूल में बल दिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, 17–7–2015 को घोषित परिणामों में उत्तरवादीगण के नाम आने के बाद, भर्ती की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी क्योंकि परिणामों को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। भर्ती के दौरान परिणामों को संशोधित करने की प्रक्रिया विधि के अनुसार संरेखित करने के लिए आवश्यक थी। न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू होने के बाद विशेष रूप से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने उत्तर–कुंजी में त्रुटियां स्थापित कीं एवं तत्पश्चात रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के उपरांत दिनांक 1–2–2016 को परिणामों को संशोधित करने का सचेत निर्णय लिया गया। जो नई सूची तैयार की गई थी, उसमें दोनों उत्तरवादी स्वीकार करते हैं कि वे जिस ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उसके लिए कट–ऑफ को पूरा करने में असफल रहे हैं। जैसा कि विद्वान एएसजी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, 228 अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर उमेश कुमार से ऊपर हैं, जबकि 265 अभ्यर्थी सत्येंद्र सिंह से ऊपर हैं। श्री खुर्शीद का यह कहना कि इस

न्यायालय के समक्ष केवल ये दो अभ्यर्थी हैं, उन्हें विधि के विपरीत निर्देश देने का हकदार नहीं बनाता, क्योंकि उनके पास नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है।

23. उपरोक्त कारणों से, हमारा मानना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6–12–2018 को उमेश कुमार विरुद्ध राज्य और दिनांक 19–12–2018 को सत्येंद्र सिंह विरुद्ध राज्य में पारित निर्णय विधि के अनुरूप नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दिल्ली पुलिस में आरक्षक (कार्यकापालन) के पद पर उत्तरवादीगण की नियुक्ति करने का आदेश जारी करके स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। यह निर्देश स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत था। उत्तरवादीगण ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और संशोधित परिणाम घोषित होने पर, न्यायालय के समक्ष यह सामने आया है कि वे ओबीसी श्रेणी जिससे वे संबंधित हैं, के लिए कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अब वर्तमान रिट याचिकाओं पर लौटते हुए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में उनका परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक "ई" और "टी" संवर्ग के पद पर चयन के पश्चात भी, याचिकाकर्ता जो चयन प्रक्रिया में सफल हुए थे और जिनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था, उन्हें नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं मिला। निःसदेह, याचिकाकर्ता, जो सहायक अध्यापक "ई" और "टी" संवर्ग के पद पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, सहायक अध्यापक "ई" और "टी" संवर्ग के पद के लिए कट–ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं, अतः यह दर्ज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने केवल इस आधार पर उक्त पदों पर नियुक्त होने का एक अविभाजित अधिकार प्राप्त कर लिया है कि उनका नाम चयनित प्रवीण्य सूची में है। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न किया क्योंकि काउंसलिंग के 4 चरण हुए, यद्यपि, काउंसलिंग के 5 वें चरण में भी याचिकाकर्तागण की नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि वे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक को पार नहीं कर सके। याचिकाकर्तागण द्वारा उद्धृत निर्णय इस पहलू के लिए भी सुसंगत है कि जिस व्यक्ति को चयन सूची में रखा जाता है, उसे रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्ति का कोई अविभाजित अधिकार नहीं मिलता है। शर्त यह होगी कि राज्य या उसके साधन किसी भी चयनित अभ्यर्थी को मनमाने रीति से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते। यद्यपि, वर्तमान प्रकरणों में, याचिकाकर्तागण को सहायक शिक्षक "ई" और "टी" संवर्ग के पद पर नियुक्त नहीं करने का एक उचित कारण है क्योंकि याचिकाकर्ता उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंकों को पूर्ण नहीं कर सके और प्रकरण के दृष्टिगत, भले ही पद रिक्त हों, याचिकाकर्ता केवल उनके चयन के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि चयन नियुक्ति से पूर्णतः अलग बात है।

19. यह स्वीकार किया जाता है कि जब 5 वें चरण की काउंसलिंग के बाद भी पदों की पूर्ति नहीं हो सकी, तो उत्तरवादी प्राधिकारियों के पास रिक्त पदों को नए विज्ञापन के लिए आगे बढ़ाने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं था, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। उत्तरवादी प्राधिकारियों/राज्य ने सहायक शिक्षक "ई" और "टी" संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 04.05.2023 को एक विज्ञापन जारी करके सही किया है,जबकि भर्ती प्रक्रिया के पिछले चरण में शेष स्थान जो पूरी नहीं हो सकी थीं, उन्हें आगे बढ़ाया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने असाधारण अधिकारिता के अन्तर्गत हस्तक्षेप के प्रयोग से संबंधित विवाद्यकों का निपटान करते हुए **मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड व अन्य विरुद्ध नवीन मैथ्यू फिलिप व अन्य के प्रकरण में [2023] लाइव लॉ (एससी) 320** में प्रतिवेदित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है:–

> "18. ऐसा करते समय, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं, परंतु इनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जैसे कि कार्यवाही और न्यायिक योजना से संबंधित प्रकरण, विशेषतः ऋणदाता और उधारकर्ता से जुड़े वाणिज्यिक प्रकरणों में, जब विधायिका ने उचित निवारण हेतु एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रकरण के उपरोक्त समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण रिट अधिकारिता में उत्तरवादी प्राधिकारियों/राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने हेतु वर्तमान प्रकरणों को उपयुक्त नहीं मानता है।

22. तदनुसार, वर्तमान याचिकाएँ,सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

23. वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

सही/–

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur